—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 139/2019

उनवान

गीता बनाम सायरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 11 सी0पी0सी0

—: आदेश :— दिनांक :— 8/7/25

अधिवक्ता प्रतिवादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में प्रकरण संख्या 1/20 शैतान उनवान काली वाद में दिनांक 07.03.22 को निर्णय किया जा चुका है। उक्त आराजी का विभाजनन कर पक्षकार के अलग—अलग खातें राजस्व अभिलेख में कायम कर दिये है। प्रश्नगत वाद की विषय वस्तु पक्षकार, आराजी मुतनाजा समान होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जावे।

वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद संख्या 139/2019 गीता बनाम सायरी दिनांक 05.12.19 को अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए का पेश कर आराजी मुतनाजा पर खातेदारी, विभाजन व स्थायी निषेघाज्ञा का अनुतोष चाहा है। साथ ही समान तथ्यों, पक्षकार, आराजी मुतनाजा व अनुतोष का राजस्व वाद संख्या 1/20 शैतान उनवान काली वाद में दिनांक़ 07.03.22 को निर्णय किया जा चुका है। उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री पारित करने के बाद विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री भी पारित की जा चुकी है तथा राजस्व अभिलेख मे अलग—अलग खातें कायम किये जा चुके है। वादी ने प्रश्नगत वाद में भी विभाजन का अनुतोष चाहा है किन्तु आराजी मुतनाजा का विभाजन हो चुका है। खसरा नम्बर 593 पर वादी द्वारा खातेदारी घोषणा चाही है किन्तु उक्त खसरा नम्बर पर विभाजन कर अलग—अलग खाता कायम किया जा चुका है। आराजीी मुतनारजा पर पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत वाद धारा 11 के अनुसार पूर्व न्याय के सिद्वान्त से बाधित है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के अपुसार प्रकरण विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नही है।

ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया ग

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद